मेरठ विकास प्राधिकरण

की

46वीं बोर्ड बैठक

दिनॉक 11-1-93

का

कार्यवृत्ता

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की बैठक दिनाँक 11-1-93

समय : प्रात: 10-30 बजे

स्थान : शिविर कार्यालय

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।

उपस्थिति :

1-	श्री एम० रामचन्द्रन	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।	अध्यक्ष
2-	श्री पी०के०सिन्हा	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ ।	उपाध्यक्ष
3-	श्री जे०एस०मिश्र	जिलाधिकारी, मेरठ ।	सदस्य
4-	श्री सुभाष चन्द्र बहुखण्डी	संयुक्त सचिव (आवास)	सदस्य
5-	श्री अरविन्द कुमार द्विवेदी	उप आवास आयुक्त	सदस्य
6-	श्री डालचन्द्र प्रधान	सभासद	सदस्य
7-	श्री महावीर जैन	सभासद	सदस्य
8-	श्री प्रेमप्रकाश शर्मा	सभासद	सदस्य

मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 11-1-93 का कार्यवृत्त ।

मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 11-1-93 को मण्डलायुक्त, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में पूर्वान्ह 10-30 बजे आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई जिसमें निम्न अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लिया ।

1-	श्री एम० रामचन्द्रन	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
2-	श्री पी०के०सिन्हा	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ ।
3-	श्री एच०के०शर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०, लखनऊ
4-	श्री सुभाष चन्द्र बहुखण्डी	संयुक्त सचिव, आवास, उ०प्र०शासन,लखनऊ ।
5-	श्री जे०एस०मिश्र	जिलाधिकारी, मेरठ ।
6-	श्री अरविन्द कुमार द्विवेदी	उप आवास आयुक्त, मेरठ प्रतिनिधि-·आवास आयुक्त
7-	श्री ओ०एन०द्विवेदी	अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र०जलनिगम, मेरठ । प्रतिनिधि - प्रबन्ध निदेशक
8-	श्री अब्दुल फहीम	सभासद, नगर महापालिका, मेरठ ।
9-	श्री डालचन्द्र प्रधान	सभासद, नगर महापालिका, मेरठ ।
10-	श्री महावीर जैन	सभासद, नगर महापालिका, मेरठ ।
11-	श्री प्रेमप्रकाश शर्मा	सभासद, नगर महापालिका, मेरठ ।

मद संख्या - 1

प्राधिकरण की दिनाँक 1-9-92 को हुई विगत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

मद संख्या - 15

महायोजना के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

पुनरीक्षित महायोजना के मद पर (मद संख्या-15) जो सबसे पहले लिया गया) विचार - विमर्श के समय निम्न आमन्त्रित अधिकारी भी उपस्थित थे :-

1- श्री सी० पी० जैन, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मेरठ ।

2- श्री बिष्णु गौड, वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन विभाग, मेरठ ।

3- श्री राहुल दुआ, अधिशासी अधिकारी, कैन्टोमेन्ट बोर्ड, मेरठ ।

मेरठ महायोजना के पुनरीक्षण का कार्य सभी सम्बन्धित विभागों आदि से विचार विमर्श एवं सहयोग से नगर एवं ग्रम नियोजन विभाग द्वारा किया जा रहा था। पुनरीक्षित प्रारुप बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर विस्तृत विार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी । यह निर्णय लिया गया कि फरवरी, 1993 के अन्त तक महायोजना के पुनरीक्षित प्रारुप को सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग द्वारा छपवा लिया जायेगा, जिसके उपरान्त नियमानुसार आपत्तियाँ आमन्त्रित किये जाने एवं सम्बन्धित विभागों एवं संस्थाओं आदि से परामर्श प्राप्त किये जाने की कार्यवाही सुनिशिचत कर ली जायेगी। तदोपरान्त महायोजना के पुनरीक्षित प्रारुप को पुन: प्राधिकरण की आगामी बैठक में रखा जायेगा।

मद संख्या - 2

बैठक दिनाँक 1-9-92 की अनुपालन आख्या।

प्राधिकरणकी दिनाँक 1-9-92 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में मद संख्या- 7 (अनाधिकृत निर्माण से सम्बन्धित अपराधों के शमन हेतु आदर्श उपविधि लागू किये जाने के सम्बन्ध

में) के सन्दर्भ में अनाधिकृत निर्माण परअंकुश लगाने पर बल दिया गया। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा ठोस कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया तथा सहमति व्यक्त की गयी कि इसके लिये जन सामान्य से भी आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाये। अनुपालन आख्या से सम्बन्धित किसी अन्य बिन्दु पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी एवं प्रस्तुत अनुपालन आख्या नोट की गयी।

बैठक दिनाँक 11-1-93 में रखे गये प्रस्ताव।

मद संख्या - 1

प्राधिकरण के कार्यकलापों तथा वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में समीक्षात्मक टिप्पणीं।

प्राधिकरण के कार्यकलापों तथा कठिन वित्तीय स्थिति से सदस्यों को अवगत कराया गया। इस सन्दर्भ में निर्णय लिया गया कि चूँकि प्राधिकरण के पास पर्याप्त मात्रा में अर्जित भूमि उपलब्ध है, अत: गंगानगर एक्सटेंशन योजना के अर्न्तगत ग्राम अब्दुल्लापुर से सम्बन्धित विचाराधीन अधिग्रहीत भूमि के सम्बन्ध में नियमानुसार भूअर्जन से मुक्त किये जाने हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाये। इस योजना के अन्तर्गत कुल 246.93 एकड भूमि अधिग्रहीत की गयी है, जिसका कब्जा अभी प्राप्त नहीं हुआ है और न ही उक्त भूमि के सम्बल्ध में अभी कोई नियोजन किया गया है।

यह निर्णय भी लिया गया कि हुडको द्वारा ऋण की त्रैमासिक किश्तों में से मूल अंश के प्रदान का एक बर्ष तक के लिये स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय से शासन को अवगत करा दिया जाये।

मद संख्या - 2

मेरठ विकास प्राधिकरण के स्टाफिंग पैटर्न के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण के प्रस्तावित स्टाफिंग पैटर्न के सम्बन्ध में प्राधिकरण के प्रस्तावित स्टाफिंग पैटर्न पर विस्तृत विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इसे अग्रिम परीक्षण हेतु शासन को प्रेषित किया जाये। दैनिक वेतन/वर्कचार्ज

पर कार्यरत कर्मचारियों को संयत वेतन दिये जाने तथा उनके नियमितीकरण किये जाने से सम्बन्धित माँग से प्राधिकरण के सदस्यों को अवगत कराया गया। सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि चूँकि दैनिक वेतन/वर्कचार्ज पर कार्यरत कर्मचारियों को संयत वेतन स्वीकृत किया जाना विधि संगत नहीं है और इससे विभिन्न कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक में विसंगति उत्पन्न हो गयी है, अत: संयत वेतन प्रथा को समाप्त किया जाये साथ ही निर्णय भी लिया गया कि विसंगति को दूर करने एवं मँहगाई को दृष्टिगत रखने हुए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पारिश्रमिक रु० 30/- प्रतिदिन से बढाकार रु० 35/- प्रतिदिन किये जाने तथा तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का पारिश्रमिक रु० 35/- प्रतिदिन से बढाकर रु० 40/- किये जाने हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित की जाये एवं शीघ्रतिशीघ्र निर्णय का अनुरोध कियाजाये।

दैनिक वेतन/वर्कचार्ज पर कार्यनत सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं/टैक्नीकल सुपरवाईजर्स के सम्बन्धमें निर्णय लिया गया कि संयत वेतन की प्रथा को समाप्त करते हुए अवर अभियन्ताओं/टैक्नीकल सुपरवाईजर्स का पारिश्रमिक रु० 50/- प्रतिदिन निर्धारित किये जाने तथा सहायक अभियनताओं का पारिश्रमिक रु० 75/- प्रतिदिन निर्धारित किये जाने हेतु प्रस्ताव तदनुसार शासन को प्रेषित किया जाये।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शासनादेश दिनाँक 1 फरवरी, 1992 के अन्तर्गत जिन 64 कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, उसके सम्बन्धमें अतिशीघ्र निर्णय हेतु शासन से अनुरोध किया जाये।

मद संख्या - 3

अनाधिकृत कालोनियों की स्वीकृति के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि केवल उन्हीं अनाधिकृत कालोनियों से सम्बन्धित तलपट मानचित्रों की स्वीकृति पर विचार किया जाये जिनका भूउपयोग अनुरुप हो, जो

निर्धारित मापदण्ड एवं शर्तें पूरी करते हों तथा जिनका स्वामित्व स्पष्ट हो। बैठक में प्रस्तुत सूचनानुसार इस प्रकार की सहकारी समितियों से सम्बन्धित पाँच प्राईवेट डवलपर्स से सम्बन्धित 12 कालोनियाँ है, जो निर्धारित मापदण्डों के अनुसार है तथा जिनका भूउपयोग अनुरुप है। इसी प्रकार 35 कालोनियाँ ऐसी हैं, जिनका भूउपयोग अनुरुप है परन्तु उनमें निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सुविधायें उपलब्ध नहीं करायी गयी है। बैठक में निर्णय लिया गया कि उपरोक्त 52 (बाबन कालोनियाँ) सूची संलग्न के बारे में एज ए बन टाईम एफोंट नियमानुसार गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

अनाधिकृत कालोनियों से सम्बन्धित तलपट मानचित्रों को शामित किये जाने के सम्बन्ध में रु० 10,000/- प्रति एकड शमन शुल्क निर्धारित किये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या - 4

मेरठ के श्रमजीवी पत्रकारों के लिये गंगानगर आवासीय योजना में उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि गंगानगर आवासीय योजना में श्रमजीवी पत्रकारों को विभिन्न श्रेणी के भवन उपलब्ध कराये जाने हेतु पंजीकरण खोला जाये तथा भवनों के मूल्य के भुगतान में डेढ गुनी किश्तों की सुविधा प्रदान की जाये। इस सीमा से कम अवधि में भी पूर्ण धनराशि जमा की जा सकती हैं यह निर्णय भी लिया गया कि गंगानगर योजना के अन्तर्गत यथासम्भव एक ही क्रम में भवन आबंटित किये जायें तथा यद्यपि पंजीकरण श्रमजीवी पत्रकारों के अतिरिक्त अन्य मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी समायोजित करने का प्रयास किया जाये।

मद संख्या - 5

प्राधिकरण के भवनों/भूखण्डों का मूल्यांकन।

प्राधिकरण के भवनों/भूखण्डों के मूल्यांकन हेतु एजेन्डा नोट के अनुसार निर्धारित किये कये मापदण्डों से सभी सदस्यों को अवगत कराया

गया । मूल्याकंन के मापदण्डों को स्वीकृति प्रदान करते हुए यह विचार व्यक्त किया गया कि प्रशासनिक व्यय हेतु विकास एवं भूमि लागत पर जो 15 प्रतिशत का प्राविधान रखा गया है उसके सम्बन्ध में अन्य प्राधिकरणों से भी स्थिति ज्ञात कर ली जाये ।

मद संख्या - 6

सहकारी आवासीय समितियाँ एवं प्राईवेट डवलपर्स को भूमि का आबंटन करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी कि सहकारी समितियाँ/प्राईवेट डवलपर्स को भूमि का आबंटन करते समय यह शर्त भी अवश्य लगायी जाये कि यदि भविष्य में न्यायालय द्वारा भूमि के प्रतिकर की धनराशि बढायी जाती है तो वह उनके द्वारा देय होगी । यह निर्णय भी लिया गया कि सहकारी समितियाँ तथा प्राईवेट डवलपर्स को भूमि आबंटन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे ।

मद संख्या - 7

शिक्षण संस्थाओं को भू आबंटन ।

प्रस्ताव में इंगित किये गये निम्न विद्यालयों को भूमि आबंटित किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गयी तथा निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव नियमानुसार स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जाये ।

1- इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, चैपल स्ट्रीट, मेरठ ।

2- वनस्थली पब्लिक स्कूल, शास्त्री नगर, मेरठ ।

3- पर्म एज्यूकेशन एण्ड मेडीकल ट्रस्ट, 48-यू०बी० जवाहर नगर, दिल्ली ।

4- दीवान पब्लिक स्कूल, 220 वैस्ट एण्ड रोड, मेरठ ।

मद संख्या - 8

लोहिया नगर योजना के लिये अर्जित भूमि में स्थित आबादियों/निर्माण के सम्बन्ध में भूस्वामियों के प्रत्यावेदनों के निस्तारण हेतु प्रस्ताव।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह विचार व्यक्त किया गया कि जिस भूमि पर प्राधिकरण को कब्जा प्राप्त हो चुका है, ऐसी भूमि को अर्जन से मुक्त किया जाना अब सम्भव नहीं हैं यह निर्णय लिया गया कि जिन व्यक्तियों की आबादी का निर्माण धारा-4 से पूर्व का हो तथा जिनका परिवार वास्तविक रुप से वहाँ पर रह रहा हो, उनको योजना में भूमि आबंटित की जाये तथा आबंटन हेतु सिद्धान्त यह रखा जाये कि ऐसे व्यक्तियों को उनके वास्तविक निर्मित क्षेत्र की चार गुना भूमि जिसकी अधिकतम सीमा 500 वर्गमीटर तक की होगी, आबंटित की जाये। तदनुसार आबंटित किये जाने वाले क्षेत्रफल की भूमि का प्रतिकर भूस्वामी को नहीं दिया जायेगा तथा प्रतिशत अधिभार घटाते हुए रु० 280/- प्रति वर्गमीटर की दर से विकास व्यय वसूल किया जायेगा।

मद संख्या - 9

हर्ष नगर आवासीय योजना में नवीन हैण्डलूम मार्केट विकसित करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव में इंगित किये गये विकल्पों से व्यापारी संघ को अवगत करा दिया जाये तथा उनकी प्रतिक्रया प्राप्त होने पर तदनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये।

मद संख्या - 10

प्राधिकरण की स्पोंटस गुडस काम्पलैक्स योजना के अन्तर्गत मैसर्स दीवान रबर इन्डस्ट्रीज लि० की भूमि के समायोजन का प्रस्ताव।

इस प्रस्ताव को स्थगित रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण से सम्बन्धित सभी पहलुओं को विधिक परीक्षण कर लिया जाये।

मद संख्या - 11

मृतक कर्मचारी के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति।

मृतक कर्मचारी के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी ।

मद संख्या - 12

प्राधिकरण के बर्ष 1992-1993 के आय-व्ययक - बजट) पर मध्यावधि समीक्षा।

प्राधिकरण के बर्ष 1992-93 के आय व्ययक पर मध्य विधिक समीक्षा की गयी एवं 31 दिसम्बर,92 तक के वास्तविक आकडों से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया । राजस्व एवं पूँजीगत मदों में 1992-93 का बजट प्राविधान तथा 31 दिसम्बर, 1992 तक की वास्तविक स्थिति निम्न तालिका के अनुसार बैठक में रखी गयी ।

मद	1992-93 का बजट प्राविधान (रुपये में)	31-12- 92 तक की स्थिति
राजस्व आय	10,78,05,000.00	86,13,603.00
पूँजीगत आय	1,37,57,54,000.00	43,59,34,772.00
राजस्व व्यय	4,22,05,000.00	2,79,88,274.00
पूँजीगत व्यय	1,38,08,04,000.00	43,30,87,630.00

बैठक में अवगत कराया गया कि राजस्व आय में कमी का मुख्य कारण स्टाम्प डयूटी के बिलों का भुगतान राजस्व परिषद से अभी तक न हो पाना तथा पंजीकरण मद में बाँछित आय न हो पाना । इसी प्रकार पूँजीगत आय मद में कमी का मुख्य कारण हडको एवं एन०सी०आर० से अपेक्षित ऋण का अवमुक्त न हो पाना रहा । समय से ऋण के प्रतिदान का भुगतान न हो पाना तथा कार्यो को धीमी गति से चला पाने के कारण विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं से स्वीकृत ऋण की अगली किश्तें समय से अवमुक्त नहीं हो सकी । पूँजीगत व्यय के मद में कमी का मुख्य कारण प्राधिकरण के समक्ष कैश फ्लों की समस्या रही है ।

मद संख्या - 13

प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 24-11-86 के मद संख्या - 7 पर लिये गये निर्णय के क्रम में विभिन्न योजनाओं के विरुद्ध ऋण प्राप्त करने के लिये पारित किये गये संकल्पों के सन्दर्भ में उक्त योजनाओं के विवरण एवं प्रगति से सदस्यों को अवगत कराया गया ।

मद संख्या - 14

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों तथा निर्मित भवनों/भूखण्डों के आबंटन की अध्यावधिक स्थिति ।

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों एवं निर्मित भवनों/भूखण्डों के आबंटन की अध्यावधिक स्थिति से प्राधिकरण के सदस्यों को अवगत कराया गया ।

अन्य बिन्दु :-

बिन्दु सं० -1

शहर से पशु पालकों को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के उददेश्य से यह निर्णय लिया गया कि मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाये जिसमें नगर महापालिका, कैन्टोमेन्ट बोर्ड, विकास प्राधिकरण तथा डेरी विभागों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों । यह समिति समुचित सर्वे करके एवं प्रकरण से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर विचार करके निश्चित प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत करेगी ।

बिन्दु - 2

शास्त्री नगर में इनर रिंग रोड को पूर्ण करने के सम्बन्ध में मौके पर जो व्यवधान है, उसके बारे में निर्णय लिया गया कि मुख्य अभियन्ता, विकास प्राधिकरण द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग एवं नगर महापालिका, आवास एवं विकास परिषद तथा जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ स्थल का निरीक्षण करके 15 दिन में व्यवधान को दूर करने एवं रिंग रोड को पूर्ण करने के सम्बन्धमें आख्या प्रेषित की जायेगी ।

बिन्दु - 3

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कुल निबन्धनों के विपरीत प्राधिकरण को देय एक प्रतिशत धनराशि के सन्दर्भ में अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) कार्यालय से सही आकडे प्राप्त करने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा माँग राजस्व परिषद को भेजी जाया करें । साथ ही इस स्त्रोत से पिछले तीन बर्षो में हुई आय तथा प्राधिकरण द्वारा शहर के सौन्दर्यीकरण/विकास पर किये गये व्यय का विवरण तैयार कराया जाये ।

यह निर्णय भी लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा विभिन्न कालोनियों/मौहल्लों आदि से वसूल किये गये विकास शुल्क एवं उनके समक्ष वहाँ कराये गये विकास कार्यो के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण तैयार कराया जाये ।

ह०/-
(सी०बी०सिंह)

ह०/-
(सी०पी०अरोडा)

ह०/-
(पी०के०सिन्हा)
उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण, मेरठ ।

ह०/-
(एम०रामचन्द्रन)
अध्यक्ष
विकास प्राधिकरण, मेरठ ।

संलग्नक

अनाधिकृत कालोनियों का विवरण जिनका भूउपयोग महायोजना के अनुसार है ।

(1) सहकारी समितियों द्वारा विकसित की जाने वाली कालोनियाँ

1- मुद्रा सहकारी आवास समिति, रुडकी रोड ।

2- न्यू फ्रैन्डस सहकारी आवास समिति, रुडकी रोड ।

3- इन्द्रप्रस्थ आवास समिति रुडकी रोड ।

4- रामापुरम (एस०बी०आई०स्टाफ, सहकारी आवास समिति) निकट शास्त्री नगर ।

5- बद्रीस सहकारी आवास समिति, सरधना रोड ।

(2) प्राईवेट डवलपर्स द्वारा विकसित की जाने वाली कालोनियाँ।

1- गगन बिहार, रोहटा रोड ।

2- सरस्वती बिहार, रोहटा रोड ।

3- सूर्य नगर साकेत रोड ।

4- अमन बिहार, मवाना रोड ।

5- ग्रीन पार्क मवाना रोड ।

6- राजेन्द्र पुरम, मवाना रोड ।

7- मीनाक्षीपुरम एक्सटेंशन, मवाना रोड ।

8- गाडविन एस्टेटस, रुडकी रोड ।

9- मेरठ औद्योगिक काम्पलैक्स, दिल्ली रोड ।

10- अग्रसैन बिहार एक्सटेंशन, निकट शास्त्री नगर ।

11- साईपुरम, दिल्ली रोड ।

12- दिनेश बिहार, बागपत रोड ।

(3) ऐसी कालोनियाँ जो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा बेचे गये भूखण्डों पर बस गयी है।

1- जनता कालोनी ।
2- रामनगर ।
3- आशियाना कालोनी ।
4- कलवा नगर ।
5- विद्या नगर ।
6- चन्द्रशेखर कालोनी ।
7- जयदेवी नगर एक्सटेंशन ।
8- सिद्धार्थ नगर ।
9- नटेशपुरम ।
10- कासमपुर खुर्रमपुर एक्सटेंशन ।
11- अशोक पुरी एक्सटेंशन ।
12- बन्नू मियाँ कालोनी एक्सटेंशन ।
13- प्रगति नगर एक्सटेंशन ।
14- संजय नगर ।
15- न्यू गोविन्दपुरी एक्सटेंशन ।
16- जवाहर नगर एक्सटेंशन ।
17- रतन नगर ।
18- मुलतान नगर एक्सटेंशन ।
19- मलियाना एक्सटेंशन ।
20- इन्द्रा नगर एक्सटेंशन ।
21- शिव शक्तिनगर एक्सटेंशन ।
22- गणेश पुरी एक्सटेंशन ।
23- मास्टर कालोनी ।
24- रसीद नगर एक्सटेंशन ।
25- अहमद नगर एक्सटेंशन ।
26- शयाम नगरएक्सटेंशन ।
27- ढवाई नगर ।

28- जैदी फार्म कालोनी ।
29- करीम नगर ।
30- कालिया गढी ।
31- पदमपुरा ।
32- लक्खी पुरा ।
33- अम्बेडकर नगर ।
34- आदर्श नगर (सरधना रोड) ।
35- तुलसी कालोनी ।